DMI FINANCE

सामान्य शर्तें और स्थितियाँ के लिए ऋण अंतर्गत SAMSUNG वित्त +

उधार लेने वाला यह स्वीकार करता और सहमत वह ऊपर देरी में भुगतान का कोई उधारकर्ता का बकाया, ऋणदाता दूर से हो सकता है संशोधित करें या प्रतिबंध लगाना निश्चित कार्यक्षमताओं या की विशेषताएं वित्त पोषण उत्पाद जैसा प्रदान किया इन मे ऐसे देरी से मिले बॉरोअर के ड्यूज़ को रिकवर करने के लिए T&C. ज़रूरी बॉरोअर के ड्यूज़ मिलने के 1 (एक) घंटे के अंदर ऐसी रोक हटा दी जाएंगी।

मैंने ये सामान्य शर्तें स्वीकार कर ली हैं और शर्तें ("T&C")सुरक्षित के संबंध में डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मुझे उपभोक्ता ऋण प्रदान किया गया। सीमित होना इसका पंजीकृत कार्यालय पर एक्सप्रेस बिल्डिंग, थर्ड फ्लोर, 9-10, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली – 110002 ('DMI') जिसका मतलब है और इसमें इसके उत्तराधिकारी और असाइनी शामिल हैं) DMI द्वारा भेजे गए वन-टाइम पासवर्ड ("OTP") को डालकर इन T&C को स्वीकार करना होगा और ये मेरे लिए बाध्यकारी होंगे। इस T&C की संबंधित स्थानीय भाषा में अनुवादित कॉपी है। DMI की वेबसाइट पर उपलब्ध है और मांगने पर मुझे भी उपलब्ध कराया जा सकता है।

1. परिभाषाएं

1.1 शर्तें और अभिव्यक्तियाँ में निहित यह नियम और शर्तें परिभाषित हैं निम्नानुसार :

"आवेदन पत्र" करेगा अर्थ सैमसंग वित्त + या अन्य आवेदन प्रदान किया द्वारा SAMSUNG पर उत्पाद;

"उपलब्धता अवधि" मतलब, में आयोजन एक उधारकर्ता है विकल्प चुना के लिए ए श्रेय रेखा, वह अवधि अंदर कौन उधार लेने वाला कर सकना अनुरोध एक गिरावट का स्वीकृत ऋण के विरुद्ध स्वीकृत सुविधा, जैसा कि मुख्य तथ्य विवरण में दिया गया है;

"उपलब्ध "सुविधा" से तात्पर्य है, यदि उधारकर्ता ने क्रेडिट लाइन का विकल्प चुना है, तो स्वीकृत सुविधा की अप्रयुक्त राशि; "उधार लेने वाला" इसका मतलब है उधारकर्ता/आवेदक जैसा वर्णित किया गया है में मुख्य तथ्य विवरण और शामिल कोई कानूनी उत्तराधिकारी और उत्तराधिकारियों में दिलचस्पी;

"उधारकर्ता का बकाया"/ "बकाया" मतलब सभी रकम देय द्वारा उधार लेने वाला को डीएमआई की ओर स्वीकृत ऋण, शामिल बिना सीमा, कोई असाधारण मूल धन, वित्तपोषण दस्तावेजों के अनुसार ब्याज, अतिदेय शुल्क, यदि कोई हो, और इसके संबंध में देय अन्य शुल्क, लागत और व्यय;

"बाउंस शुल्क" मतलब किसी भी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के डिसऑनर होने की वजह से पेमेंट न कर पाने पर बॉरोअर को मैंडेट डिसऑनर या बाउंसिंग चार्ज देना होगा। जिसमें ऐसे अनादर की प्रत्येक घटना के लिए मुख्य तथ्य विवरण में उल्लिखित चेक या कोई अधिदेश (यदि अधिदेश पंजीकृत है) शामिल है;

"शीतलन बंद "अवधि" का तात्पर्य प्रासंगिक मुख्य तथ्य कथन में निर्दिष्ट अवधि से है, और यह अवधि उधारकर्ता को वितरित स्वीकृत ऋण से बाहर निकलने के लिए दी जाती है, यदि उधारकर्ता ऐसे स्वीकृत ऋण को जारी न रखने का निर्णय लेता है;

"नियत तिथि" का सम्मान कोई भुगतान किसी भी संबंध में उधारकर्ता का बकाया मतलब तारीख जिस पर कोई भी राशि हो देय से उधारकर्ता को किसी भी संबंध में डीएमआई फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स के अनुसार लोन मंज़ूर किया गया।

"ईपीआई" इसका अर्थ है समतुल्य या स्थिर पुनर्भुगतान की राशि, जिसमें शामिल हैं मूलधन और ब्याज दोनों उधारकर्ता द्वारा भुगतान किए जाने वाले घटक चुकौती की मंज़ूर लोन समय-समय पर तय समय के लिए (जैसा कि की फैक्ट्स स्टेटमेंट में बताया गया है), जिससे लोन का पूरा अमॉर्टाइज़ेशन हो जाएगा। ऐसे स्वीकृत ऋण की अवधि के भीतर स्वीकृत ऋण;

"वित्तपोषण दस्तावेज़" का अर्थ प्रत्येक स्वीकृत ऋण के संबंध में, ये नियम और शर्तें, ऋण आवेदन, कुंजी है तथ्य कथन स्वीकृत ऋण के संबंध में जारी किया गया, इसमें अनुलग्नक और उधारकर्ता द्वारा निष्पादित या

स्वीकृत ऋण के संबंध में डीएमआई द्वारा आवश्यक कोई भी दस्तावेज शामिल हैं, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है;

"ग्रेडेड डिफ़ीचरिंग/प्रौद्योगिकी आधारित प्रतिबंध" का अर्थ है चरणवार संशोधन और प्रतिबंध प्रोडक्ट के फंक्शन और फीचर्स, जिनमें वॉलपेपर बदलना, नॉन-मॉडिफेबल ओवरड्यू बैनर, रीपेमेंट अलार्म/बीप, खास ऐप्स (जैसे सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, ई-कॉमर्स ऐप्स) का एक्सेस डिसेबल करना, कैमरा एक्सेस डिसेबल करना या दूसरे फंक्शनैलिटी का एक्सेस शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, जिन्हें DMI ने इन T&Cs के क्लॉज 2.7 के अनुसार बॉरोअर का बकाया वसूलने के लिए इस्तेमाल किया है।

"दिलचस्पी" प्रतिष्ठा में का स्वीकृत ऋण मतलब दिलचस्पी देय पर असाधारण प्रधानाचार्य मात्रा ऐसे स्वीकृत ऋण पर दर और में प्रदान किए गए तरीके प्रासंगिक मुख्य तथ्य विवरणों में

"मुख्य तथ्य कथन" मतलब ए कथन का चाबी तथ्य और शर्तें का ए स्वीकृत ऋण, में सरल और आसान को समझना भाषा, प्रदान किया द्वारा डीएमआई को ऋण लेने वाले में ए मानकीकृत प्रारूप जैसा निर्धारित अंतर्गत उपयुक्त कानून, युक्त, अलग से अन्य ज़रूरी जानकारी, विवरण वार्षिक को PERCENTAGE दर, संग्रह का विवरण एजेंसी, यदि कोई, शिकायत निवारण अधिकारी का विवरण, कूलिंग ऑफ अवधि आदि;

"देर भुगतान जुर्माना" इसका अर्थ है, मुख्य तथ्य विवरण में निर्धारित दंड राशि, जो ईपीआई/उधारकर्ता के भुगतान में देरी की प्रत्येक घटना पर उधारकर्ता द्वारा देय होगी। ऐसे बॉरोअर द्वारा अपनी संबंधित ड्यू डेट पर बकाया, जिसके पास रजिस्टर्ड मैंडेट नहीं है

'"ऋण आवेदन पत्र" मतलब आवेदन में निर्धारित रूप जैसा प्रस्तुत द्वारा ऋण लेने वाले DMI के लिए चाह रहा है स्वीकृत ऋण/ स्वीकृत सुविधा;

"सामग्री हानिकर "प्रभाव" का तात्पर्य किसी भी घटना से है जो डीएमआई की राय में (i) उधारकर्ता की देनदारियों का भुगतान करने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी या (ii) डीएमआई के अधिकार और फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स के तहत उपाय या (iii) बॉरोअर के ड्यूज़ की रिकवरी। DMI द्वारा यह तय करना कि किसी घटना को मटीरियल एडवर्स माना जाना चाहिए या नहीं। इसका प्रभाव उधारकर्ता पर बाध्यकारी होगा;

"अतिदेय शुल्क" मतलब दंडात्मक शुल्क, जैसा निर्धारित में उपयुक्त चाबी तथ्य कथन, कौन है देय पर सभी मात्रा कौन हैं नहीं चुकाया गया पर उनके संबंधित देय तारीखें. अतिदेय प्रभार नहीं होगा बड़े अक्षरों में लिखा जाए डीएमआई द्वारा अर्थात, नहीं आगे की ब्याज गणना पर ऐसा अतिदेय शुल्क;

"यह और डिजिटल उपकरण" करेगा अर्थ शामिल, इंटर आलिया, एयर कंडिशनर, कपड़े धोने मशीनें, माइक्रोवेव, लैपटॉप, रेफ्रिजरेटर या कोई अन्य उत्पादों जैसा सैमसंग द्वारा अधिकृत समय - समय पर।

"गोपनीयता नीति" मतलब डीएमआई गोपनीयता नीति जैसा उपलब्ध पर https://www.dmifinance.in/privacy-and-security/; "मोबाइल डिवाइस" का तात्पर्य सैमसंग द्वारा निर्मित मोबाइल डिवाइस से होगा;

"उत्पाद" का अर्थ सैमसंग द्वारा निर्मित और डीएमआई द्वारा अनुमोदित मोबाइल डिवाइस होगा, जिसकी खरीद के लिए उधारकर्ता द्वारा वित्तपोषण मांगा गया है और जो उत्पाद ऐसी खरीद के लिए प्रदान किए गए स्वीकृत ऋण के संबंध में जारी मुख्य तथ्य विवरण में पहचाना जाएगा;

"उद्देश्य" मतलब उपयोग का स्वीकृत ऋण के लिए खरीदना का उत्पाद से विक्रेता, जैसा में उल्लेख किया गया है चाबी तथ्य कथन जारी किए गए के लिए ऐसे स्वीकृत ऋण;

"सैमसंग" करेगा अर्थ SAMSUNG भारत इलेक्ट्रानिक्स प्राइवेट लिमिटेड;

"स्वीकृत सुविधा" मतलब, में मामलों कहाँ उधार लेने वाला है विकल्प चुना के लिए ए रेखा का श्रेय, अधिकतम मात्रा स्वीकृत द्वारा डीएमआई की ओर ऐसा रेखा ऋण का, जिसके विरुद्ध डीएमआई समय-समय पर मंज़ूर लोन के डिस्बर्समेंट की अनुमति दे सकता है। मंज़ूर की गई सुविधा कोई रिवॉल्विंग क्रेडिट लाइन नहीं होगी।
"स्वीकृत "ऋण" का तात्पर्य उस राशि से है जो किसी विक्रेता से उत्पाद खरीदने के लिए उधारकर्ता द्वारा निकासी के अनुसार साथ वित्तपोषण दस्तावेज़ और ऐसे स्वीकृत ऋणों के लिए जारी किया गया मुख्य तथ्य विवरण;
"बुद्धिमान टेलीविजन" करेगा अर्थ बुद्धिमान टीवी निर्मित द्वारा सैमसंग;.
"विक्रेता" करेगा अर्थ SAMSUNG डीलर, जैसा अनुमत द्वारा डीएमआई से समय को समय और विस्तृत में उपयुक्त चाबी तथ्य कथन, से किसको उधार लेने वाला है खरीदना वित्त पोषण उत्पाद।

1.1ए. में यह नियम और शर्तें, (ए) एकवचन में बहुवचन शामिल है (और उपाध्यक्ष (प्रतिलोम) और (बी) संदर्भ को ए लिंग शामिल करना प्रतिक्रिया दें संदर्भ महिला को, पुरुष और तटस्थ लिंग।

2. प्रतिबंध और संवितरण

2.1 लोन एप्लीकेशन समेत फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स में बॉरोअर द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर, DMI ने मान गया उपलब्ध कराने के लिए स्वीकृत ऋण लोन लेने वाले को फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स में बताई गई शर्तों पर लोन मिलेगा। अगर लोन लेने वाले ने क्रेडिट लाइन का ऑप्शन चुना है और उसे मंज़ूरी मिल जाती है, तो लोन लेने वाला किसी भी समय लोन ले सकता है। दौरान उपलब्धता अवधि, अनुरोध अदायगी का कोई मात्रा को क्षेत्र का उपलब्ध सुविधा। डीएमआई करेगा पास होना अकेला और पूर्ण विवेक अनुमति देने के लिए या अस्वीकार करना ऐसा अनुरोध। में आयोजन, डीएमआई को मंजूरी दी ऐसा अनुरोध, वही करेगा होना बनाया उपलब्ध एक स्वीकृत के रूप में ऋण के अनुसार वित्तपोषण दस्तावेजों के साथ (इस तरह के मंज़ूर लोन के बारे में जारी की गई मुख्य जानकारी सहित)। बॉरोअर समझता है कि (i) मंज़ूर लोन का डिस्बर्समेंट इस पर निर्भर करता है डीएमआई द्वारा उधारकर्ता का सत्यापन और जांच पूरी करने के बाद उसकी संतुष्टि के अनुसार अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं के साथ और ऐसे सत्यापन की स्थिति में क्या नहीं है संतोषजनक, डीएमआई करेगा होना अधिकारी को रद्द करना स्वीकृत ऋण; (ii) स्वीकृत ऋण, अगर नहीं रद्द, करेगा होना वितरित हस्ताक्षर / स्वीकृति के 72 घंटे के भीतर की फाइनेंसिंग दस्तावेज़ों द्वारा उधार लेने वाला। उधार लेने वाला समझता है कि उधारकर्ता को दी गई लोन लिमिट है जैसा प्रति डीएमआई आंतरिक मानदंड और अकेला विवेक और DMI इसे किसी भी समय अपने विवेक से कैंसिल या रद्द कर सकता है। कोई भी कैंसलेशन स्वीकृत ऋण का करेगा विधिवत हो सूचित को उधार लेने वाला।

2.2 बॉरोअर यह मानता है कि मंज़ूर लोन सीधे वेंडर को इस मकसद के लिए दिया जा सकता है और ऐसे लोन को बॉरोअर को दिया गया लोन माना जाएगा।

2.3 बॉरोअर को Key Fact Statement में बताए गए नॉन-रिफंडेबल प्रोसेसिंग चार्ज देने होंगे, साथ ही उस पर Goods and Services Tax भी देना होगा, जो दिए गए Sanctioned Loan में से रखा जा सकता है और इसे बॉरोअर को दिया गया माना जाएगा और इसलिए बॉरोअर पूरे Sanctioned Loan के लिए ज़िम्मेदार होगा।

2.4 बॉरोअर्स DMI के मोबाइल एप्लिकेशन के ज़रिए अपने सैंक्शन्ड लोन, बकाया रकम की डिटेल्स देख सकते हैं और रीपेमेंट भी कर सकते हैं।

2.5 कर्ज लेने वाले को कूलिंग ऑफ पीरियड के दौरान, बिना किसी पेनल्टी के, प्रिंसिपल और उसी हिसाब से APR चुकाकर दिए गए सैंक्शन्ड लोन से बाहर निकलने का ऑप्शन दिया जाएगा। जो कर्ज लेने वाले लुक-अप पीरियड के बाद भी सैंक्शन्ड लोन लेना जारी रखते हैं, उन्हें DMI द्वारा की फैक्ट स्टेटमेंट में बताई गई शर्तों और प्रीपेमेंट चार्ज के साथ प्री-पेमेंट की इजाज़त होगी।

2.6 बॉरोअर समझता है कि सैंक्शन्ड लोन इस शर्त पर दिया गया है कि प्रोडक्ट खरीदने के तुरंत बाद, बॉरोअर वेंडर के रिप्रेजेंटेटिव को प्रोडक्ट पर एप्लीकेशन डाउनलोड करने देगा। बॉरोअर कन्फर्म करता है कि उसने इन T&C के Annexure 1 और Annexure 2 में दी गई Samsung की सर्विस की शर्तों और प्राइवेसी पॉलिसी को पढ़, समझ और स्वीकार कर लिया है, जिसमें Samsung द्वारा ऐसे एप्लीकेशन के ज़रिए इकट्ठा की गई जानकारी को शेयर करने और स्टोर करने से जुड़ी शर्तें भी शामिल हैं।

2.7 बकाया राशि की वसूली के लिए ग्रेडेड डिफीचरिंग और टेक्नोलॉजी आधारित प्रतिबंध

2.7.1 उधारकर्ता स्वीकार करता है वह ग्रेड दिया गया डिफीचरिंग/टेक्नोलॉजी आधारित प्रतिबंध इच्छा होना बनाया असरदार के माध्यम से आवेदन और सहमत वह स्वीकृत सुविधा में इस शर्त पर दिया गया है कि ऋणदाता होना ऐसा करने का हकदार इन T&C में दिए गए तरीके से, कर्जदार का बकाया वसूलने पर रोक।

2.7.2 अगर किसी बॉरोअर का ड्यूज़ 30 Days Past Due (DPD) हो जाता है, जबकि बॉरोअर को ऐसे पेमेंट के लिए 15 दिन का नोटिस दिया गया था, तो लेंडर, बॉरोअर का ड्यूज़ रिकवर करने के लिए प्रोडक्ट पर ग्रेडेड डिफ़ीचरिंग लगा सकता है। DMI बॉरोअर को SMS/ईमेल/व्हाट्सएप/ऐप नोटिफ़िकेशन के ज़रिए नोटिस देगा, जिसमें ग्रेडेड डिफ़ीचरिंग/टेक्नोलॉजी बेस्ड रिस्ट्रिक्शन की डिटेल्स दी जाएंगी, जो नोटिस पीरियड खत्म होने तक ड्यूज़ का पेमेंट न करने पर डिवाइस पर लगाए जाएंगे और ऐसी रिस्ट्रिक्शन से बचने के लिए ज़रूरी पेमेंट की डिटेल्स भी दी जाएंगी। अगर किसी बॉरोअर का ड्यूज़ 60 Days Past Due (DPD) रहता है, तो आउटगोइंग कॉल्स समेत सभी डिवाइस फ़ंक्शन रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे। बशर्ते कि RBI और लागू कानून के तहत ज़रूरी काम हर समय चालू रहेंगे।

2.7.3 इसके अलावा, बॉरोअर DMI को DMI द्वारा बताए गए तरीके से, बॉरोअर द्वारा अपने मुख्य काम या नौकरी के लिए इस्तेमाल किए गए काम या नौकरी से जुड़े एप्लीकेशन की जानकारी दे सकता है, ताकि DMI ऐसे एप्लीकेशन को टेक्नोलॉजी पर आधारित पाबंदियों से हटा सके। स्टैंडर्ड डिवाइस फंक्शनैलिटी और एप्लीकेशन (जिसमें बिना किसी लिमिट के, सोशल मीडिया एप्लीकेशन, वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस, ब्राउज़र एप्लीकेशन, और 60 DPD के बाद आउटगोइंग कॉल शामिल हैं) को बॉरोअर के काम/नौकरी से जुड़े फंक्शनैलिटी के तौर पर नहीं माना जाएगा, जब तक कि लागू कानून द्वारा ऐसा करने के लिए ज़रूरी न किया गया हो।

2.7.4 बॉरोअर एप्लीकेशन पर टेक्नोलॉजी बेस्ड रिस्ट्रिक्शन का स्टेटस देख सकता है।

2.7.5 प्रोडक्ट के फंक्शन और फीचर्स पर टेक्नोलॉजी पर आधारित रोक, बॉरोअर की ज़रूरी ड्यूज़ मिलने के 1 (एक) घंटे के अंदर हटा दी जाएगी। बस बॉरोअर को यह पक्का करना होगा कि बॉरोअर की ड्यूज़ के पेमेंट के दौरान और जब तक पेमेंट सक्सेसफुली सिंक न हो जाए और प्रोडक्ट को रिवर्सल सिग्नल न मिल जाए, प्रोडक्ट का इंटरनेट कनेक्शन एक्टिव और स्टेबल रहे। प्रोडक्ट के ऑफलाइन होने, इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल होने या रिवर्सल सिग्नल न मिल पाने की वजह से रिवर्सल में

होने वाली कोई भी देरी लेंडर की वजह से नहीं होगी।

2.7.6 किसी भी गलत रोक या टेक्नोलॉजी-बेस्ड रोक को हटाने में देरी के संबंध में DMI की कुल लायबिलिटी, किसी भी मामले में, संबंधित लोन के तहत बांटे गए अमाउंट से ज़्यादा नहीं होगी। DMI की संतुष्टि के अनुसार बांटे गए लोन का पूरा रीपेमेंट करने के बाद, DMI या तो प्रोडक्ट पर रोक लगाने के लिए टेक्नोलॉजी-बेस्ड मैकेनिज्म को डिसेबल कर देगा या बॉरोअर को एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करने/ऐसे मैकेनिज्म को डीएक्टिवेट करने के प्रोसेस के बारे में बताएगा।

3. दिलचस्पी और चुकौती

3.1 बॉरोअर, सैंक्शन्ड लोन की अवधि के दौरान हर ड्यू डेट पर EPI के ज़रिए बकाया सैंक्शन्ड लोन और उस पर लगने वाले इंटरेस्ट, अगर कोई हो, को चुकाएगा (जैसा कि की फैक्ट्स स्टेटमेंट में बताया गया है)। EPI की गणना DMI द्वारा सैंक्शन्ड लोन और उस पर लगने वाले इंटरेस्ट, अगर कोई हो, के अमॉर्टाइज़ेशन के लिए की जाएगी, जो तय अवधि के अंदर ज़रूरी है और की फैक्ट स्टेटमेंट में बताई गई मैक्सिमम EPI से ज़्यादा नहीं होगी। EPI सिर्फ़ सैंक्शन्ड लोन के बकाया प्रिंसिपल और उस पर लगने वाले इंटरेस्ट, अगर कोई हो, के लिए होगी और इसमें कोई ओवरड्यू चार्ज / लेट पेमेंट पेनल्टी या बॉरोअर द्वारा फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स के अनुसार देने वाले कोई अन्य चार्ज शामिल नहीं हैं। पहले EPI की रकम और तारीख, सैंक्शन्ड लोन के डिस्बर्समेंट की तारीख के आधार पर बदल सकती है और ऐसी बदली हुई तारीख और रकम के बारे में बॉरोअर को ऐसे पेमेंट की ड्यू डेट से पहले बता दिया जाएगा। बॉरोअर, की फैक्ट स्टेटमेंट में बताई गई बाकी सभी रकम और चार्ज भी देगा। DMI के प्रति बॉरोअर की लायबिलिटी तभी खत्म होगी जब लोन अकाउंट में बकाया और सभी चार्ज (की फैक्ट्स स्टेटमेंट के अनुसार) ज़ीरो हो जाएंगे।

3.2 बॉरोअर यह मानता है कि ज़ीरो इंटरेस्ट वाले सैंक्शन्ड लोन के मामले में, वेंडर/सैमसंग द्वारा DMI को (सैंक्शन्ड लोन के ओरिजिनल समय के लिए) रिटर्न दिया जाता है। यह रिटर्न सैमसंग/वेंडर द्वारा दिया गया एक बार का नॉन-रिफंडेबल अपफ्रंट डिस्काउंट होता है, जैसा कि DMI और वेंडर/सैमसंग के बीच आपसी सहमति से होता है। अगर किसी भी वजह से लोन का समय ओरिजिनल समय से आगे बढ़ाया जाता है, तो बॉरोअर को सैंक्शन्ड लोन का बकाया प्रिंसिपल अमाउंट, ओवरड्यू चार्ज, बाउंस चार्ज, लेट पेमेंट पेनल्टी और ऐसे दूसरे इंटरेस्ट/चार्ज देने होंगे, जो की फैक्ट्स स्टेटमेंट में बताए गए हैं।

3.3 हर EPI का समय पर पेमेंट करना कॉन्ट्रैक्ट का ज़रूरी हिस्सा है। बॉरोअर यह मानता है कि उसने EPI कैलकुलेट करने का तरीका समझ लिया है और वह इस पर कोई विवाद नहीं करेगा।

3.4 अगर बॉरोअर के पास रजिस्टर्ड मैंडेट नहीं है और बॉरोअर किसी भी EPI को उसकी ड्यू डेट पर पे करने में फेल रहता है/देरी करता है, तो बॉरोअर को EPI पे करने में ऐसी फेलियर/देरी पर लेट पेमेंट पेनल्टी देनी होगी, जैसा कि की फैक्ट्स स्टेटमेंट में बताया गया है। लेट पेमेंट पेनल्टी रोकने वाली होती है और इसका मकसद DMI को बॉरोअर की पेमेंट की ज़िम्मेदारियों के उल्लंघन से होने वाले नुकसान और जोखिमों की भरपाई करना है और इसे कैपिटलाइज़ नहीं किया जाएगा या किसी अलग सर्विस या सुविधा के लिए कंसीडरेशन के तौर पर नहीं माना जाएगा।

3.5 अगर किसी EPI का पेमेंट उसकी ड्यू डेट पर नहीं किया जाता है, तो बॉरोअर को देरी के समय के लिए ओवरड्यू चार्ज देना होगा, जैसा कि की फैक्ट्स स्टेटमेंट में बताया गया है। ऊपर बताई गई बातें DMI के किसी भी दूसरे अधिकार और उपायों पर बिना किसी रोक-टोक के लागू होती हैं, जो बॉरोअर द्वारा पेमेंट में डिफ़ॉल्ट के संबंध में इस एग्रीमेंट या लागू कानून के तहत हो सकते हैं। ड्यू डेट पर बॉरोअर का ड्यू।

3.6 फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स में कहीं और कही गई किसी भी बात के बावजूद, बॉरोअर का सारा ड्यूज़, DMI द्वारा मांगे जाने पर, अपने हिसाब से और बिना कोई कारण बताए, बॉरोअर को DMI को देना होगा। बॉरोअर को ऐसी रकम, बिना किसी देरी या आपत्ति के, ऐसी मांग के 15 (पंद्रह) दिनों के अंदर चुकानी होगी।

3.7 DMI को इंटरेस्ट रेट / किसी भी दूसरे चार्ज को बदलने का हक होगा, और DMI बकाया सैंक्शन्ड लोन और इंटरेस्ट, अगर कोई हो, के रीपेमेंट के लिए EPI / EPI की संख्या को फिर से कैलकुलेट कर सकता है। ऐसा कोई भी बदलाव DMI द्वारा बॉरोअर को बताया जाएगा, और यह आगे से लागू होगा और बॉरोअर पर आखिरी और बाइंडिंग होगा। ऐसे बदलाव के मामले में, बॉरोअर को ऐसे बदलाव के 30 (तीस) दिनों के अंदर, बिना किसी प्रीपेमेंट पेनल्टी के, पूरे बकाया सैंक्शन्ड लोन को जमा हुए इंटरेस्ट (अगर लागू हो) के साथ प्रीपे करने का हक होगा।

3.8 लोन लेने वाले को सभी ड्यूटी, सेस और दूसरे तरह के टैक्स देने होंगे, चाहे वे अभी लागू हों या भविष्य में, जो किसी भी कानून के तहत किसी भी समय फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स के तहत DMI को किए गए किसी भी पेमेंट के संबंध में देने होंगे। लोन लेने वाला सभी बकाया रकम और फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स को लागू करने या मंज़ूर लोन के संबंध में कोई भी रिकवरी की कार्रवाई करने में DMI द्वारा उठाए गए सभी खर्चों, ड्यूटी, लेवी वगैरह के लिए ज़िम्मेदार होगा। लोन लेने वाला यह मानता है कि अगर इन T&C पर कोई स्टाम्प ड्यूटी लागू होती है, तो लोन लेने वाला उसके लिए ज़िम्मेदार होगा। अगर ऊपर बताई गई कोई भी ड्यूटी, चार्ज, टैक्स और खर्च DMI द्वारा उठाए जाते हैं, तो उन्हें लोन लेने वाले से वसूला जाएगा और पेमेंट की तारीख से लेकर रीइंबर्समेंट तक ओवरड्यू चार्ज लगेंगे।

3.9 फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स में दिए गए किसी भी नियम और शर्तों के बावजूद, बॉरोअर जो रकम चुकाएगा, उसे सबसे पहले कॉस्ट, चार्ज, खर्च और दूसरे पैसों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा; दूसरा, अगर कोई ओवरड्यू चार्ज है तो उसके लिए; तीसरा, इंटरेस्ट के लिए; और आखिर में, सैंक्शन्ड लोन के प्रिंसिपल अमाउंट के रीपेमेंट के लिए। इंटरेस्ट (अगर लागू हो), ओवरड्यू चार्ज और दूसरे सभी चार्ज हर दिन जमा होंगे और 30/360 दिन के तरीके के आधार पर कैलकुलेट किए जाएंगे।

3.10 ब्याज (अगर लागू हो), ओवरड्यू चार्ज और दूसरे सभी चार्ज हर दिन जमा होंगे और 30/360 दिन के तरीके के आधार पर कैलकुलेट किए जाएंगे।

3.11 अगर किसी पेमेंट की ड्यू डेट कोई बिज़नेस डे नहीं है, तो लोन लेने वाला अगले बिज़नेस डे पर अमाउंट का पेमेंट करेगा।

3.12 बॉरोअर द्वारा DMI को दी जाने वाली सभी रकम बिना किसी कटौती के दी जाएगी। पेमेंट के लिए क्रेडिट/डिस्चार्ज तभी दिया जाएगा जब बकाया रकम मिल जाएगी।

3.13 बॉरोअर यह मानता है कि इंटरेस्ट रेट, पेनल्टी/ओवरड्यू चार्ज, सर्विस चार्ज और दूसरे चार्ज जो बॉरोअर फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स के तहत देने के लिए सहमत है, उसे सही और मंज़ूर हैं।

4. भुगतान का तरीका, पुनर्भुगतान और पूर्व भुगतान

4.1 उधारकर्ता, डीएमआई द्वारा समय-समय पर आवश्यक होने पर, ईसीएस / राष्ट्रीय स्वचालित क्लियरिंग हाउस (डेबिट क्लियरिंग) / कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक या अन्य क्लियरिंग सेवा प्रदान करेगा।

अधिदेश (सामूहिक रूप से करने के लिए भेजा जैसा "जनादेश") जैसा द्वारा अधिसूचित संरक्षित किनारा का भारत ("आरबीआई") के खिलाफ उधारकर्ता का किनारा खाता के लिए भुगतान बकाया राशि का। ऐसा जनादेश होगा से खींचा ऐसे बैंक का लेखा उधार लेने वाला जैसा है स्वीकार्य को डीएमआई. द उधार लेने वाला करेगा सम्मान सभी भुगतान बिना चूके Due पर खजूर/ पहली प्रस्तुति का अधिदेश. अधिदेश प्रदान किया गया द्वारा उधार लेने वाला मई होना उपयोग किया डीएमआई द्वारा के लिए वसूली का कोई उधारकर्ता का बकाया राशि. उधारकर्ता इसके द्वारा बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से अधिकृत करता है

डीएमआई लेने के सभी कार्रवाई आवश्यक के लिए ऐसा बोध, साथ या बिना अग्रिम सूचना उधारकर्ता को। उधारकर्ता तुरंत (और किसी भी स्थिति में सात (7) दिन) के लिए निष्पादित शासनादेश और/या अन्य दस्तावेजों को प्रतिस्थापित करते हैं उधारकर्ता के बकाया का भुगतान जैसा मई होना द्वारा अपेक्षित डीएमआई से समय को समय, पर इसका अकेला विवेक। में मामला का अस्वीकार का अधिदेश पंजीकरण, उधार लेने वाला इच्छा भी वेतन NACH/ मैंडेट रिजेक्शन चार्ज, जैसा कि की फैक्ट स्टेटमेंट में दिया गया है।

4.2 बॉरोअर को हर समय अपने बैंक अकाउंट में काफ़ी पैसे रखने होंगे ताकि वह अपनी ड्यू डेट्स पर बॉरोअर के ड्यूज़ का पेमेंट कर सके। बॉरोअर उस बैंक अकाउंट को बंद नहीं करेगा जिससे मैंडेट जारी किया गया है, या बैंक या DMI को मैंडेट के तहत पेमेंट रोकने या देर करने के लिए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देगा या कैंसिल नहीं करेगा और DMI ऐसे किसी भी कम्युनिकेशन पर ध्यान देने के लिए मजबूर नहीं है। ऐसे किसी भी इंस्ट्रक्शन को भी इवेंट ऑफ़ डिफॉल्ट माना जाएगा।

4.3 बॉरोअर द्वारा दिया गया मैंडेट उस मैंडेट की संबंधित तारीख तक वैलिड रहेगा और बॉरोअर यह दावा नहीं करेगा कि कस्टमर द्वारा दिया गया ECS/NACH मैंडेट या ऐसा कोई दूसरा मैंडेट किसी भी कारण से इनवैलिड है।

4.4 बॉरोअर इस बात से सहमत है और मानता है कि मैंडेट बॉरोअर के ड्यूज़ के पेमेंट के लिए अपनी मर्ज़ी से जारी किया गया है, न कि किसी भी मकसद के लिए सिक्योरिटी के तौर पर। बॉरोअर यह भी मानता है कि किसी भी मैंडेट का अनादर करना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881/द पेमेंट एंड सेटलमेंट्स एक्ट, 2007 के तहत एक क्रिमिनल ऑफेंस है। बॉरोअर को हर डिसऑनर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के लिए बाउंस चार्ज देना होगा, जिसमें चेक या मैंडेट्स शामिल हैं (जैसा कि की फैक्ट स्टेटमेंट में बताया गया है)।

4.5 बॉरोअर यह मानता है कि ऐसे बाउंस चार्ज लेंडर द्वारा एक रोकथाम के उपाय के तौर पर लगाए जाते हैं ताकि बॉरोअर को डिसऑनर चेक/मैंडेट जारी करने से रोका जा सके और यह इन T&C के उल्लंघन के लिए लिक्विडेटेड डैमेज की तरह है। बताए गए बाउंस चार्ज का मकसद DMI को बॉरोअर की पेमेंट की ज़िम्मेदारियों के उल्लंघन से होने वाले नुकसान और जोखिमों की भरपाई करना है। बॉरोअर यह भी मानता है कि ऐसे बाउंस चार्ज लगाने से लोन या उसके किसी हिस्से का रीपेमेंट लागू करने के लेंडर के अधिकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, या इन T&C के तहत या किसी भी लागू कानून के तहत लेंडर को मिलने वाले किसी भी दूसरे अधिकार या उपाय का इस्तेमाल करने पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

4.6 किसी भी तरह का कोई भी झगड़ा या मतभेद, बॉरोअर को किसी भी EPI या दूसरी रकम का पेमेंट रोकने या देर करने का हक नहीं देगा और DMI को ड्यू डेट्स पर मैंडेट पेश करने का हक होगा।

4.7 मैंडेट जारी होने के बावजूद, समय पर बकाया पेमेंट पक्का करने के लिए बॉरोअर पूरी तरह से ज़िम्मेदार होगा।

4.8 इसके अलावा, DMI NEFT/ RTGS/पेमेंट के दूसरे इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से भी पेमेंट स्वीकार करेगा और बॉरोअर अपने ड्यूज़ का पेमेंट करने के लिए ज़रूरत पड़ने पर इन ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि, बॉरोअर इस बात से सहमत है और मानता है कि मैंडेट के अलावा किसी दूसरे तरीके से ड्यूज़ का पेमेंट करने पर, ट्रांज़ैक्शन के लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज बॉरोअर को देना होगा और उससे वसूला जाएगा।

5. उधारकर्ता के अनुबंध, प्रतिनिधित्व और वारंटी

5.1 उधारकर्ता को:

(i) फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स के तहत अपनी सभी ज़िम्मेदारियों का पालन करना और उन्हें पूरा करना।

(ii) DMI को समय-समय पर ज़रूरत पड़ने पर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट समेत सभी डॉक्यूमेंट तुरंत DMI को दें। बॉरोअर DMI को यह भी अधिकार देता है कि वह (i) किसी भी बैंक से, जहाँ बॉरोअर का अकाउंट है, अलग से बात करे और उस अकाउंट के बारे में बैंक से डिटेल्स और स्टेटमेंट मांगे, और (ii) किसी भी बॉरोअर के किसी भी एम्प्लॉयर से, जैसा DMI ज़रूरी समझे, जिसमें बॉरोअर की क्रेडिट-वर्दी की मॉनिटरिंग भी शामिल है।

(iii) किसी भी बॉरोअर के खिलाफ किसी भी केस या कानूनी कार्रवाई के बारे में DMI को तुरंत बताएं।

(iv) किसी भी मटीरियल एडवर्स इफ़ेक्ट या डिफ़ॉल्ट की घटना के बारे में DMI को इन्फॉर्म करें।

(v) ऑफिस/घर/बिज़नेस की जगह की लोकेशन/पते में कोई भी बदलाव या नौकरी/पेशे/बिज़नेस में कोई भी बदलाव/इस्तीफ़ा/खत्म/बंद होने की जानकारी DMI को लिखकर दें।

(vi) नौकरी या बिज़नेस के लिए भारत नहीं छोड़ना या विदेश में लंबे समय तक नहीं रहना, जब तक कि मंज़ूर लोन का बकाया, ब्याज और दूसरे बकाए और चार्ज पूरी तरह से चुका न दिया जाए।

(vii) मंजूर लोन का इस्तेमाल मुख्य तथ्य विवरण में बताए गए मकसद के अलावा किसी और मकसद के लिए नहीं करना चाहिए और खास तौर पर इसका इस्तेमाल (a) कैपिटल मार्केट में किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं करना चाहिए, जिसमें स्टॉक, बॉन्ड और दूसरी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ शामिल हैं (b) किसी भी रूप में सोना खरीदने के लिए जिसमें प्राइमरी गोल्ड, गोल्ड बुलियन, गोल्ड ज्वेलरी, गोल्ड कॉइन, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) की यूनिट्स और गोल्ड म्यूचुअल फंड की यूनिट्स शामिल हैं या (c) किसी भी तरह के सट्टा इन्वेस्टमेंट या सट्टा मकसद के लिए या (d) किसी भी ऐसी एक्टिविटी के लिए नहीं करना चाहिए जो गैर-कानूनी हो या कानून की तरफ से मना हो या जिसके लिए लोन फंड का इस्तेमाल कानून की तरफ से रोका गया हो।

(viii) अगर कोई सिक्योरिटी हो, तो उसे फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स में बताई गई सिक्योरिटी के हिसाब से या किसी भी बॉरोअर की क्रेडिट योग्यता में किसी भी बदलाव (जैसा DMI तय करेगा) के मामले में DMI की ज़रूरत के हिसाब से दें।

(ix) जमा सुनिश्चित करें का वेतन और / या व्यावसायिक आय में खाता से कौन अधिदेश है गया जारी किए गए डी.एम.आई.

(x) अनुपालन करना पर सभी टाइम्स साथ उपयुक्त कानून, शामिल, रोकथाम से पैसा लॉन्ड्रिंग अधिनियम, 2002।

(xi) उपयोग स्वीकृत ऋण केवल के लिए उद्देश्य।

(xii) क्योंकि यह एप्लीकेशन, लोन के स्टेटस, रीपेमेंट की तारीख, रिमाइंडर वगैरह के लिए बॉरोअर के साथ बातचीत का एक तय तरीका है, इसलिए बॉरोअर प्रोडक्ट से एप्लीकेशन को डिलीट या हटाएगा नहीं या ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे एप्लीकेशन के काम करने में रुकावट आए/रोक लगे/डिसेबल हो जाए/बदलाव आए।

(xiii) ग्रेडेड डिफेक्टिंग के एक्टिवेट होने पर, किसी भी थर्ड पार्टी के ज़रिए प्रोडक्ट के डिसेबल/मॉडिफाइड फीचर्स को डिसेबल या मॉडिफाई करने या किसी भी तरह से रीएक्टिवेट करने की कोशिश न करें।

5.2 सैंक्शन मिलने के तुरंत बाद प्रोडक्ट DMI के फेवर में हाइपोथेकेटेड हो जाएगा और बॉरोअर ऐसे हाइपोथेकेशन को बनाने के लिए सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने का वादा करता है।

5.3 बॉरोअर DMI को नीचे दिए गए तरीके से रिप्रेजेंट और वारंट करता है:

(i) ऋण आवेदन पत्र तथा किसी अन्य दस्तावेज़ में ऋणकर्ता द्वारा प्रदान की गई सारी जानकारी, चाहे वह ऋणकर्ता की ऋण पात्रता सुनिश्चित करने के लिए प्रासंगिक हो अथवा नहीं, सत्य एवं सही है तथा किसी भी प्रकार से भ्रामक नहीं है;

(ii) उधार लेने वाला है काबिल का और अधिकारी अंतर्गत सभी उपयुक्त कानूनों को निष्पादित करें और अभिनय करना फाइनेंसिंग दस्तावेज़ और लेनदेन इसके अंतर्गत;

(iii) कर्ज लेने वाले की उम्र 18 साल से ज़्यादा है और फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स उस पर कानूनी, वैध और बाध्यकारी दायित्व, उसके विरुद्ध लागू करने योग्य इसकी शर्तों के अनुसार;

(iv) उधार लेने वाला वाणी वह है कि/ वह क्या नहीं है निषिद्ध द्वारा कोई कानून से इसका लाभ उठाना स्वीकृत सुविधा / स्वीकृत ऋण;

(v) बॉरोअर यह बताता है कि वह मंज़ूर सुविधा / मंज़ूर लोन को समझता है और इसके लिए मंज़ूरी दे दी है। मुख्य तथ्य विवरण और फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स उसकी अपनी मर्ज़ी से और किसी तीसरे पक्ष के दबाव/दबाव/दबाव के बिना।

(vi) नहीं घटना है घटित हुआ कौन करेगा प्रतिकूल चाहना दिलचस्पी का डीएमआई या चाहना वित्तीय स्थितियाँ का उधार लेने वाला या प्रभावित उसका/उसकी देयता निष्पादित करना सभी या कोई का वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत उनके दायित्व;

(vii) उधार लेने वाला है नहीं में गलती करना भुगतान का का कोई करों या सरकारी बकाया;

(viii) उधार लेने वाला इच्छा करना सभी कार्य, काम और ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें द्वारा डीएमआई को देना प्रभाव को शर्तें का वित्तपोषण दस्तावेज;

(ix) कि वहाँ कोई नहीं है दिवालियापन या दिवालियापन कार्यवाही ख़िलाफ़ ऋण लेने वाले।

(x) खरीद के मामले में कोई भी आईटी और डिजिटल उपकरण के माध्यम से स्वीकृत सुविधा, उधारकर्ता समझता है और स्वीकार करता है कि ग्राहक समर्थन इंजीनियर, इंस्टॉलेशन/सेटअप इंजीनियर को प्रोडक्ट इंस्टॉलेशन लोकेशन पर जाने और इंटरनेट न होने या इंस्टॉल करने के लिए रिमोट एक्सेस दिए जाने की स्थिति में अपना हॉटस्पॉट इस्तेमाल करने की अनुमति होनी चाहिए। एप्लिकेशन/सर्विस, जिसमें कस्टमर के पर्सनल मोबाइल डिवाइस पर स्मार्टथिंग्स एप्लिकेशन भी शामिल है।

(xi) में स्वीकृत सुविधा के माध्यम से किसी भी स्मार्ट टेलीविजन की खरीद के मामले में, उधारकर्ता समझता है और स्वीकार करता है कि ग्राहक सहायता इंजीनियर, स्थापना/सेटअप अभियंता अवश्य होना अनुमत मुआयना करने के लिए टीवी लगाने की जगह और अपना हॉटस्पॉट इस्तेमाल करें में का मामला कोई इंटरनेट नहीं या दिया गया स्थापित करने के लिए दूरस्थ पहुँच बुद्धिमान टीवी एप्लीकेशन (Samsung Smart Upgrade) के लिए, जबकि यूज़र या इंजीनियर, बॉरोअर की तरफ से Smart TV T&Cs स्वीकार करते हैं। यह लागू है नई खरीद या मरम्मत के लिए स्मार्ट टीवी एप्लीकेशन से खरीदा गया स्मार्ट टीवी (सैमसंग स्मार्ट अपग्रेड)

5.4 उधार लेने वाला मानता है वह वह/ वह / यह है पढ़ना डीएमआई गोपनीयता नीति, है दिया गया इसका/ उसकी/ उसका सहमति को वही। उधार लेने वाला मानता है और अपना/अपनी देता है /

इसका सहमति को डीएमआई को उपयोग, इकट्ठा करना और प्रक्रिया जानकारी प्रदान किया द्वारा उधार लेने वाला या अन्यथा खरीद ब्यौरा द्वारा डीएमआई में अनुसार साथ सहमति के लिए प्रयोजनों और में ढंग विस्तृत में डीएमआई गोपनीयता नीति, शामिल बिना परिसीमन के लिए प्रयोजनों का उपलब्ध कराने के और निगरानी स्वीकृत ऋण, उसका पुनर्भुगतान और फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स की शर्तों का पालन, और DMI के लिए प्राइवेसी पॉलिसी में बताई गई बिज़नेस ज़रूरतें। बॉरोअर समझता है और इस बात से सहमत हैं कि डीएमआई मई, विषय को लागू कानून, खुलासा ऐसी जानकारी को इसका ठेकेदारों, एजेंटों और कोई अन्य तीसरे पक्ष पर आवश्यकता आधारित आधार पर या जैसा प्रदान किया गया है DMI प्राइवेसी पॉलिसी में या किसी कानूनी / रेगुलेटरी ज़रूरत के हिसाब से ज़रूरी हो सकता है।

5.5 उधार लेने वाला भी सहमत होता है, वचनबद्ध होता है और वाचाएँ नीचे के अनुसार :

(i) उधारकर्ता को किसी भी वृद्धि का हकदार नहीं होगा स्वीकृत ऋण कारण किसी भी वृद्धि का किसी भी प्रोडक्ट की खरीद कीमत। हालाँकि, समारोह किसी भी खरीद मूल्य में कमी होने पर, डीएमआई अपने विवेकानुसार स्वीकृत ऋण की मूल राशि को कम कर सकता है;

(ii) प्रोडक्ट की डिलीवरी के लिए वेंडर पूरी तरह से ज़िम्मेदार होगा और प्रोडक्ट की डिलीवरी में किसी भी देरी या डिलीवरी न होने के लिए DMI ज़िम्मेदार नहीं होगा। और/या उक्त उत्पाद की गुणवत्ता, स्थिति, फिटनेस, उपयुक्तता या अन्यथा के संबंध में;

(iii) कोई गारंटी खरीदा पर उत्पाद है ए तृतीय पक्ष प्रदान की गई सेवा द्वारा उत्पादक का उत्पाद और डीएमआई है उत्तरदायी नहीं के लिए ऐसी वारंटी;

(iv) प्रोडक्ट कैंसलेशन के मामले में, DMI संबंधित सैंक्शन्ड लोन को तभी चुका हुआ मानेगा, जब वेंडर कंप्लायंस के बाद DMI को अमाउंट रिफंड कर दे। उधार लेने वाला साथ धनवापसी नीति का विक्रेता। में मामला का ऐसा धनवापसी, डीएमआई करेगा धनवापसी ईपीआई, अगर कोई भी, चुकाया गया द्वारा उधार लेने वाला, कम दिलचस्पी अगर कोई के लिए अवधि खरीद और रिफंड के बीच, और सैंक्शन्ड लोन को पूरी तरह से डिस्चार्ज मान लें। प्रोसेसिंग फीस वापस नहीं की जाएगी;

(v) उधार लेने वाला करेगा नहीं आंशिक कब्जा या स्वामित्व का उत्पाद या बनाएं कोई तीसरा दल अधिकार उस पर बिना सहमति डीएमआई का ;

(vi) डीएमआई करेगा पास होना पहला और अनन्य शुल्क पर उत्पाद।

5.6 बॉरोअर इस बात से सहमत है और मानता है कि सैमसंग किसी भी तरह से किसी भी झगड़े के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा,
मंज़ूर सुविधा के बारे में शिकायतें, शिकायतें, दावे, वगैरह। DMI यह वादा करता है और घोषणा करता है कि मंज़ूर लोन के बारे में कोई भी विवाद, शिकायतें, दावे, वगैरह DMI द्वारा सुलझाए जाएंगे और/या सैमसंग की मदद के बिना निपटाए जाएंगे ।

6. डिफ़ॉल्ट की घटनाएँ

6.1 अगले कार्य/घटनाएँ, करेगा प्रत्येक गठित करना एक "आयोजन का गलती करना" द्वारा उधारकर्ता के लिए प्रयोजनों का प्रत्येक स्वीकृत सुविधा / स्वीकृत ऋण:

(i) उधारकर्ता विफल रहता है को का भुगतान करें कोई उधारकर्ता का बकाया पर देय तारीख;

(ii) उल्लंघन का कोई शर्तें, अनुबंध, प्रतिनिधित्व, वारंटी, घोषणा या इसकी सूचना देने वाला अंतर्गत फाइनेंसिंग दस्तावेज़;

(iii) कोई भी धोखाधड़ी या बहकाना या आड़ का सामग्री जानकारी द्वारा उधार लेने वाला कौन सकना पास होना प्रभावित फ़ैसला का डीएमआई को अनुदान स्वीकृत सुविधा या कोई भी स्वीकृत ऋण;

(iv) मौत, पागलपन या कोई अन्य स्थायी विकलांगता का ऋण लेने वाले ;

(v) उधार लेने वाला इस्तेमाल स्वीकृत ऋण / स्वीकृत सुविधा के लिए कोई उद्देश्य अन्य बजाय उद्देश्य या उल्लंघन अंत उपयोग प्रतिबंध तय करना बाहर में फाइनेंसिंग दस्तावेज़;

(vi) ऐसी कोई घटना, स्थिति या हालात (कानून में किसी भी बदलाव सहित) का होना, जिससे DMI की एकमात्र और पक्की राय में कोई खास नुकसान हो सकता है। असर, जिसमें बॉरोअर के बैंकरप्सी/लिक्विडेशन/दिवालियापन के लिए किसी भी कार्रवाई या कार्रवाई की लिमिटेशन या उसके किसी भी एसेट्स की कुर्की/रोकथाम शामिल है।

का निर्णय डीएमआई के संबंध में चाहे या कोई घटना नहीं डिफ़ॉल्ट का हुआ है बाध्यकारी होना उधारकर्ता पर।

7. नतीजे डिफ़ॉल्ट का

7.1 किसी भी डिफ़ॉल्ट की घटना के होने पर और उसके बाद किसी भी समय, DMI के पास किसी भी स्वीकृत लोन / स्वीकृत सुविधा के विरुद्ध सभी भुगतान रोकने का अधिकार होगा, लेकिन यह उसकी बाध्यता नहीं होगी, स्वीकृत लोन के संबंध में बकाया सभी रकम को, चाहे देय हो या नहीं, तुरंत चुकाने योग्य घोषित करेगा और यदि उधारकर्ता 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर उक्त भुगतान करने में विफल रहता है, तो DMI अपने विवेक से किसी भी अन्य अधिकार या उपाय का प्रयोग कर सकता है जो DMI को किसी भी लागू कानून के तहत उपलब्ध हो सकता है, जिसमें उधारकर्ता या उनकी संपत्ति के विरुद्ध कोई निषेधाज्ञा राहत या कुर्की की मांग करना शामिल है। उपरोक्त के बावजूद, यदि उधारकर्ता ऐसे भुगतान की नियत तारीख से 90 (नब्बे) दिनों के भीतर उधारकर्ता के बकाये का भुगतान करने में विफल रहता है, तो DMI को, अन्य बातों के साथ-साथ, उसे एक गैर-निष्पादित संपत्ति ("NPA") के रूप में वर्गीकृत करने और तदनुसार क्रेडिट ब्यूरो को इसकी रिपोर्ट करने का अधिकार होगा।

7.2 कब्ज़ा: डिफ़ॉल्ट की किसी भी घटना के होने पर और उसके बाद किसी भी समय, DMI के पास 48 घंटे का नोटिस देने के बाद लागू कानून के तहत तय प्रोसेस के अनुसार प्रोडक्ट का कब्ज़ा लेने का बिना शर्त अधिकार होगा ("कब्ज़ा नोटिस"), जब तक कि ऐसा पहले का नोटिस एक लेंडर के तौर पर DMI के कानूनी अधिकारों और हित के लिए नुकसानदायक न हो।

में की घटना पुनः कब्ज़ा, उधार लेने वाला करेगा नहीं होना अधिकारी को बनाना कोई दावा डीएमआई के खिलाफ पर कोई खाता सहित के लिए नुकसान का आय, वित्तीय कठिनाई या दूसरी मुश्किलें। DMI को लागू कानून के हिसाब से कब्ज़ा लेने और बकाया रकम वसूलने और वसूलने के लिए दूसरी सभी कार्रवाई करने का हक होगा।

7.3 DMI को किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदारी लिए बिना, पब्लिक या प्राइवेट नीलामी या प्राइवेट सेल से प्रोडक्ट बेचने, किराए पर देने या किसी और तरह से डील करने का अधिकार होगा, और लागू करने का अधिकार होगा। इन T&C में बताए गए कॉस्ट, खर्च और ड्यूज़ से होने वाली नेट इनकम। रिकवरी में किसी भी कमी के लिए बॉरोअर ज़िम्मेदार बना रहेगा। और यह कब्जा या की बिक्री उत्पाद द्वारा डीएमआई नहीं करेगा उधारकर्ता को मुक्त करना से इसका दायित्व बनाना इसका भुगतान कोई भी बकाया रकम। हालाँकि, अगर प्रोडक्ट की बिक्री पूरी होने से पहले DMI की संतुष्टि के लिए सभी बकाया पेमेंट कर दिए जाते हैं, तो DMI प्रोडक्ट को बॉरोअर को सौंप देगा।

7.4 उधार लेने वाला करेगा भी होना उत्तरदायी के लिए भुगतान का सभी कानूनी और अन्य लागत और खर्च इस कारण हुई से ऊपर बताई गई चूक या व्यायाम का DMI उपाय।

8. खुलासे

8.1 उधार लेने वाला मानता है और अधिकृत करता है डीएमआई को खुलासा सभी जानकारी और डेटा संबंधित को उधार लेने वाला, स्वीकृत ऋण, गलती करना अगर कोई भी, प्रतिबद्ध द्वारा उधार लेने वाला ऐसे तीसरे पक्ष/एजेंसियों को जिन्हें डीएमआई उचित और आवश्यक समझे खुलासा के संबंध में अपने अधिकारों और उपायों के प्रयोग के लिए स्वीकृत ऋण और/या जैसा अधिकृत द्वारा आरबीआई, शामिल ट्रांसयूनियन सिबिल सीमित ("सिबिल"). उधार लेने वाला भी मानता है और अधिकृत करता है ऐसा जानकारी को होना इस्तेमाल किया गया, प्रसंस्कृत द्वारा डीएमआई / तीसरा पार्टियां/ सिबिल / भारतीय रिजर्व बैंक जैसा वे मई समझना उपयुक्त और में अनुसार साथ उपयुक्त कानून। आगे में आयोजन का गलती करना, डीएमआई और ऐसा एजेंसियां करेगा पास होना एक अयोग्य सही को खुलासा या प्रकाशित नाम का उधार लेने वाला /या इसका निर्देशक/ साझेदार/सह-आवेदक, जैसा लागू, 'डिफॉल्टर' के रूप में ऐसे तरीके से और ऐसे माध्यम से जिसे डीएमआई/सिबिल/आरबीआई/अन्य अधिकृत एजेंसी अपने पूर्ण विवेक से उचित समझें, जिसमें शामिल हैं समाचार पत्रों में, पत्रिका और सोशल मीडिया।

8.2 बॉरोअर, DMI को अभी या भविष्य में जानकारी शेयर करने और/या बताने के लिए और किसी भी नतीजे के लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहराएगा। कर्जदार और/या किसी और वजह से। इस क्लॉज 8 के नियम फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स के खत्म होने और लोन चुकाने के बाद भी लागू रहेंगे। उधारकर्ता का बकाया राशि.

9. इलेक्ट्रॉनिक मिडिया

9.1 ऋण लेने वाले इसके द्वारा पुष्टि करता है, मानता है और सहमत हैं वह ऑनलाइन स्वीकार का इन नियम और शर्तें शामिल कोई परिवर्तन साथ ही के माध्यम से वेबसाइट या ऐसा

अन्य इंटरनेट या वेब आधारित मतलब परिणाम में ए बंधन अनुबंध बीच में पार्टियाँ.

9.2 बॉरोअर को पता है कि इन T&C, दूसरे नियम और शर्तों, निर्देशों, मंज़ूरियों और कम्युनिकेशन ('कम्युनिकेशन') का ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉनिक मतलब ऐसा जैसा ईमेल, प्रतिकृति, एसएमएस मूलपाठ संदेश भेजना, वेबसाइटें, ऑनलाइन स्वीकृति, वगैरह। ('इलेक्ट्रॉनिक मीडिया') शामिल ए संख्या का जोखिम शामिल धोखाधड़ी वाले बदलाव और गलत ट्रांसमिशन और गोपनीयता की कमी जिसके लिए DMI ज़िम्मेदार नहीं होगा।

10. मिश्रित

10.1 DMI के रिकॉर्ड में की गई एंट्री, बॉरोअर के ड्यूज़ के होने और उसकी रकम का पक्का सबूत होंगी और DMI द्वारा दिया गया ड्यूज़ का कोई भी स्टेटमेंट। डीएमआई इसे बॉरोअर स्वीकार करेगा और यह उस पर लागू होगा।

10.2 पुनर्भुगतान के लिए उधारकर्ता की देयता उधारकर्ता की देय राशि में, मामला जहां एक से अधिक उधारकर्ताओं ने किसी स्वीकृत सुविधा के लिए संयुक्त रूप से आवेदन किया हो, संयुक्त और अनेक।

10.3 उधार लेने वाला करेगा सभी निष्पादित करें दस्तावेज़ और संशोधन और करेगा सहयोग साथ डीएमआई जैसा आवश्यक द्वारा डीएमआई (i) को अनुपालन करना साथ कोई भारतीय रिजर्व बैंक दिशा निर्देशों / निर्देशों या (ii) के लिए DMI को फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स के तहत अधिकारों का पूरा फायदा देना। ऊपर बताई गई बातों पर बिना किसी नुकसान के बॉरोअर इसके द्वारा अपरिवर्तनीय रूप से सहमति व्यक्त करता है कि इसकी विफलता पर ऐसा करने पर, ऐसे बदलाव फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स में शामिल माने जाएंगे और बॉरोअर पर लागू होंगे। किसी भी सस्पेंशन या

10.4 की समाप्ति कोई भी स्वीकृत ऋण, सभी सही और उपचार डीएमआई का के अनुसार वित्तपोषण दस्तावेज़ तब तक जीवित रहेगा रसीद डीएमआई द्वारा की उधारकर्ता का पूरा बकाया।

10.5 बॉरोअर साफ़ तौर पर यह मानता और स्वीकार करता है कि DMI को बिना किसी नुकसान के, खुद या अपने ऑफिस के कर्मचारियों के ज़रिए ऐसी गतिविधियाँ करने का अधिकार होगा और उसके पास एक या ज़्यादा तीसरे पक्ष (जिन्हें आगे "सर्विस प्रोवाइडर" कहा जाएगा) को नियुक्त करने का पूरा अधिकार और अधिकार होगा, जैसा कि DMI चुन सकता है और ऐसे पक्ष को फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स के तहत अपने सभी या कोई भी काम, अधिकार और शक्ति सौंप सकता है, जो बॉरोअर से जुड़ी जानकारी के सोर्स, पहचान और वेरिफिकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, मंज़ूर लोन की मॉनिटरिंग और उससे जुड़े सभी कानूनी काम, काम, मामले और चीज़ों को करने और लागू करने से जुड़े हैं, जिसमें नोटिस भेजना, बॉरोअर से संपर्क करना, DMI के पक्ष में बॉरोअर से कैश/चेक/ड्राफ़्ट/मैंडेट लेना शामिल है। सर्विस प्रोवाइडर को लेंडर बॉरोअर से बकाया किसी भी रकम के लिए रिकवरी/कलेक्शन एजेंट के तौर पर भी नियुक्त कर सकता है और ऐसे रिकवरी एजेंट की जानकारी की जानकारी की जानकारी की जानकारी की जानकारी में दी जाएगी या DMI द्वारा बदलने या अपडेट करने पर बॉरोअर को लिखकर दी जाएगी।

10.6 बॉरोअर यह मानता है कि इस फाइनेंसिंग ट्रांज़ैक्शन से उसके और DMI के बीच डेटर और क्रेडिटर का रिश्ता बनता है, न कि उसके और DMI के बीच। DMI द्वारा दी गई/दी जाने वाली किसी भी सर्विस के संबंध में। इसलिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 1986 के नियम इस ट्रांज़ैक्शन पर लागू नहीं होंगे। बॉरोअर DMI को सभी जानकारी और डॉक्यूमेंट्स को वेरिफ़ाई करने के लिए ऑथराइज़ करता है, जिसमें इनकम प्रूफ़ डॉक्यूमेंट्स, रेजिडेंस डॉक्यूमेंट्स, एड्रेस प्रूफ़ डॉक्यूमेंट्स, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स और पर्सनल और फ़ाइनेंशियल जानकारी वाले दूसरे डॉक्यूमेंट्स शामिल हैं, जो उन्होंने कोई भी सैंक्शन्ड लोन लेने के लिए जमा किए हैं और वे DMI द्वारा उन्हें बाद में रखने के लिए भी मंज़ूरी देते हैं।

10.7 उधारकर्ता स्वीकार करता है और डीएमआई को अधिकृत करता है उधारकर्ता का पैन नंबर/प्रति प्राप्त करने के लिए पान का कार्ड, अन्य पहचान प्रमाण और किनारा अकाउंट डिटेल्स, समय से समय पर और जब DMI को ठीक लगे, तो CIBIL, Experian, Hunter रिपोर्ट और ऐसी दूसरी रिपोर्ट भी बनाना/पाना। बॉरोअर इसके द्वारा अपनी सहमति भी देता है और DMI को आधार e-KYC या किसी और तरीके से अपना KYC वेरिफिकेशन करने और अपनी तरफ से ज़रूरी सभी काम करने के लिए ऑथराइज़ करता है। या अन्यथा विधिवत पूरा प्रक्रिया का ऐसा सत्यापन सहित द्वारा रास्ता का आधार ई-केवाईसी और शेयर करना ऐसा जानकारी साथ कोई अधिकार और इकट्ठा करना ऐसा जानकारी में ए ढंग यह उचित समझे।

10.8 में आयोजन का कोई बहस या विवाद बीच में डीएमआई और उधार लेने वाला के बारे में माद्दा का कोई मामला शामिल का कोई आयोजन घटना, परिस्थिति, परिवर्तन, तथ्यात्मक जानकारी, दस्तावेज़, प्राधिकरण, कार्यवाही, कार्य, चूक, दावे, उल्लंघन करना, गलती करना या अन्यथा, राय का डीएमआई जैसा तक ऊपर बताई गई किसी भी बात का महत्व आखिरी होगा और बॉरोअर पर लागू होगा।

11. गंभीरता

11.1 बॉरोअर यह मानता है कि इन फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स के तहत उसकी हर ज़िम्मेदारी अलग है और बाकी से अलग की जा सकती है ।

12. शासन कानून और अधिकार क्षेत्र

12.1 सभी स्वीकृत ऋण और यह फाइनेंसिंग दस्तावेज़ करेगा शासित होना द्वारा और अर्थ लगाया में अनुसार साथ कानूनों भारत का ।

12.2 सभी विवाद, मतभेद और / या दावा से उत्पन्न ये उपहार या के रूप में निर्माण, अर्थ या इसका प्रभाव या जैसा तक सही और देनदारियों पार्टियों के वित्तपोषण के तहत दस्तावेज़ वस्तुतः के माध्यम से निर्णय लिया ऑनलाइन विवाद वेबन्याय प्राइवेट लिमिटेड का समाधान मंच या ऐसा कोई अन्य मंच जैसा सूचीबद्ध पर हमारा वेबसाइट [*[https://www.dmifinance.in/wp-content/uploads/2025/05/Arbitration.pdf]* में अनुसार साथ उनका मध्यस्थता करना नियम ("नियम")। पक्ष इस बात से सहमत हैं कि आर्बिट्रेशन नियमों के तहत नियुक्त आर्बिट्रेटर के सामने होगा और इस मकसद के लिए, ईमेल एड्रेस और/या मोबाइल नंबर एग्रीमेंट में उपलब्ध, दी गई या किसी और तरह से बताई गई जानकारी पर विचार किया जाएगा। हर पार्टी को सूचना देने के लिए जिम्मेदार ऐसा किसी भी घटना की स्थिति में संस्था आर्बिट्रेशन की पूरी कार्रवाई के दौरान अपने ईमेल एड्रेस और/या मोबाइल नंबर में बदलाव न करें। अगर आर्बिट्रेशन की कार्रवाई नहीं हो पाती है आर्बिट्रेटर की राय में, कार्यवाही फिजिकली की जाएगी। आर्बिट्रेशन की जगह दिल्ली होगी। और कार्यवाही उपवास के अधीन होना रास्ता प्रक्रिया जैसा कि धारा 29(बी) में निर्धारित किया गया है मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996। पुरस्कार शामिल मध्यस्थता के अंतरिम पुरस्कार अंतिम होंगे और सभी संबंधित पक्षों पर लागू होगा। आर्बिट्रेटर बिना कोई कारण बताए फैसला सुना सकते हैं।

12.3 इसके अलावा, यह क्लॉज़ फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स के खत्म होने के बाद भी लागू रहेगा। फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स से होने वाले किसी भी या सभी झगड़ों पर दिल्ली, भारत की अदालतों का खास अधिकार क्षेत्र होगा (यह आर्बिट्रेशन की कार्यवाही पर निर्भर करेगा जो दिल्ली, भारत में भी की जाएगी)।

13. नोटिस

13.1 कोई सूचना वित्तपोषण दस्तावेजों के संबंध में उधारकर्ता को दिए जाने वाले नोटिस को वैध रूप से दिया गया माना जाएगा यदि उधारकर्ता को दिया गया हो या पंजीकृत डाक द्वारा उधारकर्ता के मौजूदा या अंतिम ज्ञात व्यावसायिक या निजी पते पर भेजा गया हो या छोड़ा गया हो। पंजीकृत डाक द्वारा भेजा गया ऐसा कोई भी नोटिस पोस्ट करने के 48 घंटे के भीतर उधारकर्ता को प्राप्त हुआ माना जाएगा। ऋणदाता ऋणदाता के पास पंजीकृत या अन्यथा उपलब्ध संपर्क विवरण का उपयोग करके, एसएमएस, ईमेल, व्हाट्सएप, मोबाइल एप्लिकेशन अधिसूचना या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल मोड सहित इलेक्ट्रॉनिक तरीकों के माध्यम से उधारकर्ता को कोई भी नोटिस, सूचना या संचार जारी कर सकता है। ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक नोटिस, सूचना या संचार प्रेषण के समय विधिवत रूप से दिया गया माना जाएगा। डीएमआई को कोई भी नोटिस तभी वैध माना जाएगा जब वह डीएमआई को उसके उपरोक्त पते पर प्राप्त हुआ हो।

13.2 के लिए कोई शिकायतें वह उधार लेने वाला मई पास होना में रिश्ता को स्वीकृत सुविधा, जिसमें प्रोडक्ट पर ग्रेडेड डिफ़ीचरिंग/टेक्नोलॉजी आधारित पाबंदियों से

जुड़ी कोई भी शिकायत शामिल है, यह मई संपर्क ऋणदाता के माध्यम से विवरण उल्लिखित में चाबी तथ्य कथन।

14. कार्यभार

14.1 उधार लेने वाला करेगा नहीं होना अधिकारी संयुक्त रूप से या अलग-अलग स्थानांतरण या सौंपना सभी या कोई का उनका सही या दायित्व या के तहत कर्तव्यों वित्तपोषण दस्तावेज़ को कोई

व्यक्ति सीधे या परोक्ष रूप से या बनाएं कोई तृतीय पक्ष दिलचस्पी में कृपादृष्टि का किसी भी व्यक्ति बिना पूर्व लिखा हुआ सहमति डीएमआई का .

14.2 डीएमआई को हकदार होना बेचने के लिए, किसी भी तरह से स्थानांतरित, असाइन या सुरक्षित करना (में साबुत या भाग में और सहित अनुदान के माध्यम से भागीदारी का अधिकार) सभी या कोई वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत अपने लाभों, अधिकार, दायित्व, कर्तव्यों और/या देनदारियों के बारे में उधारकर्ता की पूर्व लिखित सहमति या सूचना के बिना, DMI जो भी तरीके और शर्तें तय करेगा, वे लागू होंगी। ऐसे ट्रांसफर, असाइनमेंट या सिक्योरिटाइज़ेशन की स्थिति में, बॉरोअर अपना काम करेगा और करने के लिए ज़िम्मेदार होगा। फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स के तहत ऐसे असाइनी या ट्रांसफरर को ज़िम्मेदारी। ऐसी स्थिति में, बॉरोअर बाकी मैंडेट को उसके पक्ष में बदल देगा। अगर DMI कहे तो ट्रांसफरी/असाइनी।

15. हानि से सुरक्षा

उधार लेने वाला करेगा पकड़ना क्षतिपूरित और रक्षा करना डीएमआई, इसका कर्मचारी, प्रतिनिधियों और कंसल्टेंट्स हानिरहित से समय को समय और पर सभी टाइम्स ख़िलाफ़ कोई देयता, दावा करना, नुकसान, निर्णय, हानि, लागत या व्यय (शामिल, बिना सीमा, उचित वकील का फीस और खर्च) जैसा ए का परिणाम या उत्पन्न होने वाला से बाहर कोई असफलता द्वारा उधार लेने वाला को निरीक्षण या अभिनय करना कोई का शर्तें और स्थितियाँ और दायित्वों निहित में फाइनेंसिंग दस्तावेज़ या आयोजन डिफ़ॉल्ट या फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स के तहत DMI द्वारा किसी भी अधिकार का इस्तेमाल, जिसमें बॉरोअर के ड्यूज़ की सिक्योरिटी या रिकवरी को लागू करना शामिल है।

16. परिसंपत्ति वर्गीकरण

डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ("डीएमआई") सभी ग्राहकों को सूचित करना चाहता है कि, आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार और प्रोविजनिंग संबंधित को अग्रिम – स्पष्टीकरण दिनांकित नवंबर 12, 2021 जारी किए गए द्वारा संरक्षित किनारा का भारत ("आरबीआई"), कंपनी करेगा पहचानना उत्पन्न होनेवाला चूक होने पर तुरंत उधारकर्ता के खातों पर दबाव डालना, उन्हें नीचे उल्लेखित वर्गीकरण के आधार पर विशेष उल्लेख खाते ("एसएमए") के रूप में वर्गीकृत करना; "अतिदेय तिथि" का अर्थ है वह तिथि जिस दिन उधारकर्ता के खातों को दिन की समाप्ति प्रक्रिया के भाग के रूप में अतिदेय के रूप में चिह्नित किया जाएगा।

उदाहरण: अगर लोन अकाउंट की ड्यू डेट महीने की 15-Mar-22 है और कंपनी के डे-एंड प्रोसेस चलाने से पहले पूरा ड्यू नहीं मिलता है, तो लोन अकाउंट के लिए पेमेंट की आखिरी तारीख 15-Mar-22 है। यह तारीख, कर्ज लेने वाले को नीचे दिए गए कैटेगरी में रखा जाएगा।

एपि देय तारीख	15-मार्च- 22	दिन पिछला बकाया (डीपीडी)	-
एपि अतिदेय	15-मार्च- 22	1- 30	एसएमए0
एपि अवशेष अतिदेय (नहीं प्राप्त तक दिन अंत प्रक्रिया)	14-अप्रैल- 22	31- 60	एसएमए1
एपि अवशेष अतिदेय	14-मई- 22	61- 90	एसएमए2
एपि अवशेष अतिदेय	13-जून- 22	91 और ऊपर	एनपीए

ऋण खाते एनपीए के रूप में वर्गीकृत मई होना के रूप में अपग्रेड किया गया 'मानक' संपत्ति केवल अगर पूरा बकाया का दिलचस्पी और प्रिंसिपल हैं चुकाया गया द्वारा उधार लेने वाला ।

उदाहरण:

विवरण	परिदृश्य 1*	परिदृश्य 2

ऋण वर्गीकरण	एनपीए	एनपीए
ईपीआई राशि	5,000	5,000
अतिदेय एपि	15,000	15,000
भुगतान प्राप्त	5,000	15,000
संतुलन अतिदेय एपि	10,000	-
ऋण वर्गीकरण	उधार लेने वाला इच्छा जारी रखना को होना रिपोर्ट जैसा जब तक पूरी बकाया रकम का भुगतान नहीं हो जाता, तब तक NPA रहेगा	मानक

**में करने के लिए संदर्भ आरबीआई परिपत्र क्रमांक. आरबीआई/2021-2022/158 DOR.STR.REC.85/21.04.048/2021-22 दिनांक 15 फरवरी, 2022, परिदृश्य 1 (के रूप में वर्गीकृत) एनपीए हो सकते हैं (अगर ब्याज और मूलधन का पूरा बकाया चुका दिया गया है, तो ही 'स्टैंडर्ड' एसेट के तौर पर अपग्रेड किया जाएगा) 01 अक्टूबर, 2022 से लागू होगा।*

टिप्पणी:

(i) रिपोर्टिंग का एनपीए हिसाब किताब इच्छा अब सामाप्त करो पर दैनिक आधार पर।

(ii) अगर DMI से एक से ज़्यादा लोन लेने वाले बॉरोअर्स के लोन अकाउंट्स को NPA से स्टैंडर्ड एसेट कैटेगरी में तभी अपग्रेड किया जाएगा, जब वे सभी लोन से जुड़े ब्याज और मूलधन का पूरा बकाया चुका देंगे।

(iii) किसी अकाउंट को NPA के तौर पर क्लासिफ़ाई करने का असर क्रेडिट ब्यूरो द्वारा मेंटेन किए जाने वाले क्रेडिट स्कोर पर पड़ सकता है। इसलिए, DMI सभी बॉरोअर्स से रिक्वेस्ट करता है कि वे लोन रीपेमेंट शेड्यूल में बताई गई ड्यू डेट के हिसाब से अपना EPI पेमेंट करें। इससे क्रेडिट स्कोर में सुधार होता है, पेनल्टी से बचा जा सकता है, और टॉप-अप लोन/ऑफ़र के लिए एलिजिबिलिटी बेहतर होती है।

17. हम प्रोत्साहित करना सभी उधारकर्ताओं को लकड़ी का लट्ठा में को https://portal.dmifinance.in/ को वेतन ईपीआई.

स्वीकृति:

मुझे/हमें पता है कि DMI सभी शर्तों और भरी गई जानकारी से खुद को संतुष्ट करने के बाद ही मंज़ूर लोन देने के लिए सहमत होगा।
DMI पॉलिसी के अनुसार फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स में मेरे/हमारे द्वारा। मैं/हम सहमत हैं कि ये T&C DMI के डिजिटली साइन करने पर या मंज़ूर लोन के पहले डिस्बर्समेंट की तारीख पर, जो भी पहले हो, कानूनी तौर पर लागू होंगे।

मैं सहमत हूँ और मानता हूँ कि सैमसंग किसी भी तरह से किसी भी विवाद के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा,
मंज़ूर सुविधा के संबंध में शिकायतें, शिकायतें, दावे, वगैरह। मंज़ूर लोन के संबंध में कोई भी विवाद, शिकायतें, शिकायतें, दावे, वगैरह DMI द्वारा सुलझाए और/या निपटाए जाएंगे।

मैं इस प्रोडक्ट को DMI के पक्ष में एक कंटिन्यूइंग सिक्योरिटी के तौर पर रखता हूँ ताकि मंज़ूर लोन के संबंध में सभी बॉरोअर ड्यूज़ को सुरक्षित किया जा सके।

मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं स्वीकृत ऋण का उपयोग मुख्य तथ्य विवरण में अनुमत उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं करूँगा/करूँगी और विशेष रूप से इसका उपयोग (ए) पूंजी बाजार में किसी भी निवेश के लिए नहीं करूँगा, जिसमें स्टॉक, बांड और अन्य वित्तीय प्रतिभूतियाँ शामिल हैं (बी) प्राथमिक सोना, सोने के बुलियन, सोने के आभूषण, सोने के सिक्के, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) की इकाइयों और सोने के म्यूचुअल फंड की इकाइयों सहित किसी भी रूप में सोने की खरीद या (सी) किसी भी सट्टा निवेश या सट्टा उद्देश्य के लिए या (डी) किसी भी गतिविधि के लिए जो अवैध है या कानून द्वारा निषिद्ध या जिसके संबंध में ऋण निधि का उपयोग कानून द्वारा प्रतिबंधित है।

हस्ताक्षर करके या "मैं स्वीकार करता हूँ" पर क्लिक करके / ई-हस्ताक्षर करके, उधारकर्ता मोबाइल एप्लिकेशन / स्मार्ट टीवी / स्मार्ट चीजों या किसी अन्य एप्लिकेशन और सेवाओं (क्रमशः अनुलग्नक डी और अनुलग्नक ई के रूप में इन टीएंडसी में संलग्न) से संबंधित इन टीएंडसी, सेवा की शर्तों ("टीओएस") और गोपनीयता नीति ("पीपी") पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर करता है और उनके नियमों से कानूनी रूप से बाध्य होने के लिए सहमत होता है। इन T&C को TOS और PP के साथ बॉरोअर का मानना ये बातें बनाएगा: (I) बॉरोअर का इन T&C में बताए गए सभी टर्म्स एंड कंडीशंस को बिना किसी बदलाव के मानने और बिना किसी शर्त के मानने का एग्रीमेंट; और (II) बॉरोअर का यह मानना और कन्फर्म करना कि इन T&C (फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ) को बॉरोअर ने ठीक से पढ़ लिया है और पूरी तरह समझ लिया है।a

DMI Finance Private Limited
Express Building, 3rd Floor, 9–10 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi – 110002
Tel: +91 11 4120 4444 | +91 11 4120 4000 | Email: dmi@dmifinance.in | Web: www.dmifinance.in
CIN: U64990DL2008PTC182749